भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 948

दिनांक 08 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा तम्बाकू का सेवन

948. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वैश्विक युवा सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई सूचना के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों द्वारा तम्बाकू के सेवन की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे बच्चों को तम्बाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार को बच्चों में तम्बाकू सेवन की ऐसी घातक लत से निपटने के लिए प्रस्ताव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ) वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण (जीवाईटीएस-4), 2019 का चौथा राउंड 13-15 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। (जीवाईटीएस 4), 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, सिगरेट और बीड़ी/पीना शुरू करने और धुआं रहित तंबाकू का उपयोग शुरू करने की औसत आयु क्रमशः 11.5 वर्ष, 10.5 वर्ष और 9.9 वर्ष थी।

सरकार ने ऐसे बच्चों को तंबाकू उत्पादों के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं;

- सीओटीपी संशोधन नियम, 2011 के साथ पठित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा 6 (क) के अनुसार, **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और उनके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।** सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (ख) के तहत किसी **भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में आने वाले क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।.**
- मंत्रालय ने 31 मई' 2019 को सीओटीपीए, 2003 की धारा-6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **"तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान** (संशोधित)" के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं; राज्य इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए शिक्षा विभागों के साथ मिलकर प्रभावी उपाय कर रहे हैं।
- जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस अधिनियम के प्रवर्तन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें सीओटीपीए, 2003 के इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन अभियान चलाती हैं।
- विभिन्न तंबाकू रोधी अभियानों के माध्यम से स्वास्थ्य पर तंबाकू उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में **नियमित और निरंतर जागरूकता** सृजित की जाती है। तम्बाकू नियंत्रण संबंधी प्रयासों में तेजी लाने के लिए सरकार ने बच्चों और युवाओं के संरक्षण पर विशेष बल देते हुए तम्बाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए वर्ष 2007-08 में **राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)** शुरू किया; नियमित और निरंतर जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की गई ।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 31 मई' 2023 को वर्ल्ड नो टोबैको डे के अवसर पर 60 दिवसीय **तंबाकू मुक्त युवा अभियान** शुरू किया। यह अभियान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 31 मई से 31 जुलाई' 2023 तक सफलतापूर्वक लागू किया गया था, ताकि विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण समुदायों के बीच तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में गहन जन जागरूकता पैदा की जा सके।
- सरकार ने युवाओं को निकोटिन के आदी होने से बचाने के लिए 5 दिसंबर' 2019 को **"इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019** भी अधिनियमित किया है।.

*****